मध्यप्रदेश विधान सभा में दिनांक 4 जुलाई, 2014 को पुरःस्थापित किए गए रूप में.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १० सन् २०१४

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०१४.

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१४ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा २३ का स्थापन.

२. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २२ सन् १९७३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

कार्य परिषद्.

"२३. (१) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की कार्यपालिक निकाय होगी और उसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(एक) कुलपति—अध्यक्ष;

(दो) कुलसचिव—सदस्य सचिव;

(तीन) कुलाधिपति द्वारा प्रत्येक दो वर्ष के लिए ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित चार संकायाध्यक्ष;

(चार) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभाग या प्राध्ययन केन्द्रों के दो आचार्य जो कुलाधिपति द्वारा प्रत्येक दो वर्ष के लिए ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित किए जाएंगे;

(पांच) संबद्ध महाविद्यालयों के चार प्राचार्य, जिनमें से कम से कम दो प्राचार्य उन महाविद्यालयों में से होंगे जो राज्य सरकार के हों, राज्य सरकार द्वारा, प्रत्येक दो वर्ष के लिए ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित किए जाएंगे;

(छह) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग या उसका नामनिर्देशिती जो उपसचिव के पद से निम्न पद का न हो;

(सात) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग या उसका नामनिर्देशिती जो उपसचिव के पद से निम्न पद का न हो;

(आठ) आयुक्त, उच्च शिक्षा या उसका नामनिर्देशिती जो अतिरिक्त संचालक के पद से निम्न पद का न हो;

(नौ) उस संभाग का जहां विश्वविद्यालय अवस्थित है संभागीय आयुक्त या उसका नामनिर्देशिती जो अपर कलक्टर के पद से निम्न पद का न हो;

(दस) उस जोन का, जिसमें कि विश्वविद्यालय अवस्थित है, पुलिस महानिरीक्षक या उसका नामनिर्देशिती जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद से निम्न पद का न हो;

(ग्यारह) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित चार शिक्षाविद्, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया हो, जो कम से कम स्नातक हों और किसी राजनीतिक दल के सदस्य न हों, जिनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग में से प्रत्येक का एक-एक व्यक्ति होगा, इन चार व्यक्तियों में से कम से कम दो महिलाएं होंगी;

(बारह) यथास्थिति विश्वविद्यालय का वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक.

(२) कार्य परिषद् के वे सदस्य, जो पदेन सदस्यों से भिन्न हों, दो वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेंगे.

(३) कार्य परिषद् के पचास प्रतिशत सदस्यों से, जिनमें कि कुलपति एवं कुल सचिव आवश्यक रूप से सम्मिलित होंगे, गणपूर्ति होगी :

परंतु किसी स्थगित सम्मिलन के लिए किसी गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी.''.

धारा ४९ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ४९ में, उपधारा (२), (३), (४) तथा (५) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

''(२) चयन समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे,—

(एक) कुलपति—अध्यक्ष;

(दो) कुलसचिव—सचिव;

(तीन) विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तुत किए गए चार विषय विशेषज्ञों के पैनल में से कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित दो विशेषज्ञ, जो किसी भी रीति में, चाहे वह कुछ भी हो, विश्वविद्यालय से संसक्त न हों;

(चार) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक विषय विशेषज्ञ, जो किसी भी रीति में, चाहे वह कुछ भी हो, विश्वविद्यालय से संसक्त न हो, इन प्रवर्गों से कोई विशेषज्ञ उपलब्ध न होने की दशा में, शासन के सचिव की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का एक प्रशासनिक अधिकारी, जो आरक्षित प्रवर्ग का हो, नामनिर्देशित किया जाएगा.

(३) चयन समिति के चार सदस्यों से, जिनमें अध्यक्ष भी सम्मिलित है, गणपूर्ति होगी, परन्तु कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का होना चाहिए तथा कुल सचिव सम्मिलन में सचिव के रूप में उपस्थित रहेगा.

(४) समिति, विभिन्न अभ्यर्थियों के गुणागुण का अन्वेषण करेगी और उन व्यक्तियों के नामों की, योग्यता के क्रम में, यदि कोई हों, जिन्हें वह पदों के लिए उपयुक्त समझे, कार्य परिषद् को सिफारिश करेगी.

(५) कार्य परिषद्, उप-धारा (४) के अधीन इस प्रकार सिफारिश किए गए नामों में से योग्यता के क्रम में व्यक्तियों को नियुक्त करेगी.''.

४. मूल अधिनियम की धारा ४९-क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात् :— **धारा ४९-ख का अंत:स्थापन.**

''४९-ख(१) धारा ४९ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय को लोक सेवा आयोग द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षकों को नियुक्त करने का निदेश दे सकेगी. **निदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति.**

(२) धारा २४ के खण्ड (बत्तीस) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल या उसी के समान किसी शासकीय अभिकरण के माध्यम से चयन द्वारा तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में नियुक्ति करने के लिए भी विश्वविद्यालय को निदेश दे सकेगी.

(३) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे कि रिक्तियों के कारण या राज्य सरकार को सूचित किए गए किसी अन्य कारण से विश्वविद्यालय में दिन प्रतिदिन का कार्य सम्पन्न नहीं हो पा रहा है, तो राज्य सरकार को विश्वविद्यालय के समुचित कार्यकरण के लिए शिक्षकों या अन्य कर्मचारियों को एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में स्थानान्तरित करने या शिक्षकों या कर्मचारियों को विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर भेजने की शक्ति होगी.

(४) इस धारा के अधीन दिए गए निदेशों को लागू करना विश्वविद्यालय के लिए बाध्यकारी होगा.''.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २२ सन् १९७३) राज्य में विश्वविद्यालयों के संगठन और प्रशासन के लिए पिछले चालीस वर्षों से प्रवृत्त है.

२. यह जानकारी में आया है कि विश्वविद्यालय, शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में संतोषप्रद रूप से कृत्यों का पालन नहीं कर रहे हैं.

३. विश्वविद्यालयों के सुचारू संचालन तथा समुचित कार्यकरण के लिए यह प्रस्तावित है कि राज्य सरकार को, समुचित निदेश देने के लिए सशक्त किया जाए. अतएव, आवश्यक संशोधन प्रस्तावित हैं.

४. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ३ जून, २०१४.

उमाशंकर गुप्ता
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०१४ के खण्ड ४ के उपखण्ड (१), (२) एवं (३) द्वारा राज्य सरकार को लोक सेवा आयोग के माध्यम से विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को नियुक्त करने एवं मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल या उसी के समान किसी शासकीय अभिकरण के माध्यम से चयन द्वारा तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में नियुक्ति करने के निदेश देने के साथ ही विश्वविद्यालयों के समुचित कार्यकरण के लिए शिक्षकों या अन्य कर्मचारियों को एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में स्थानांतरित करने या प्रतिनियुक्ति पर भेजने संबंधी विधायिनी शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं.

उक्त प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप के होंगे.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबन्ध

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (क्रमांक-२२ सन् १९७३) से उद्धरण.

*　　　*　　　*　　　*

धारा २३　(१)　कार्यपरिषद् विश्वविद्यालय की कार्यपालिक निकाय होगी और उसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे अर्थात्—

(एक)　कुलपति;

(एक-क) कुलाधिसचिव

(दो)　संकायों के चार संकायाध्यक्ष जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किये जायेंगे;

(तीन)　सभा द्वारा अपने सदस्यों में से, एक संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये गये तीन व्यक्ति;

(चार)　विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों या प्राध्ययन केन्द्रों के दो आचार्य जो कुलाधिपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित किये जायेंगे;

(पांच)　संबद्ध महाविद्यालयों के चार प्राचार्य जिनमें से कम से कम दो प्राचार्य उन महाविद्यालयों में से होंगे जो राज्य सरकार के हों, ये चार प्राचार्य कुलाधिपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित किये जायेंगे;

(छः)　सचिव, मध्यप्रदेश शासन ४४ (उच्च शिक्षा विभाग) या उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो उपसचिव के पद से निम्न पद का न हो;

(सात)　सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग या उसका नामनिर्दिष्ट व्यक्ति जो उपसचिव के पद से निम्न पद का न हो;

(आठ)　कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित छह व्यक्ति जिनमें से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग में से प्रत्येक का एक-एक व्यक्ति होगा, इन छह व्यक्तियों में से दो महिलाएं होंगी.

(२)　कार्यपरिषद् के वे सदस्य, जो पदेन सदस्यों में भिन्न हों तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेंगे;

परन्तु उपधारा (१) के पद (तीन) के अधीन निर्वाचित किया गया कार्यपरिषद् का कोई सदस्य ऐसे सदस्य के रूप मे पद पर नहीं रह जायेगा, यदि वह सभा का सदस्य न रह जाये.

(३)　कार्यपरिषद् के सात सदस्यों से गणपूर्ति होगी.

४३ [परन्तु स्थगित सम्मिलन के लिये कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी'']

*　　　*　　　*　　　*

धारा ४९.　अध्यापन पदों पर नियुक्ति—

(२)　प्रवरण-समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे.—

(एक)　कुलपति—अध्यक्ष;

(एक-क) विलोपित;

(दो) विलोपित;

(तीन) विद्या-परिषद् द्वारा प्रस्तुत विषय के तीन विशेषज्ञों के पेनल में से एक विशेषज्ञ, जो किसी भी प्रकार से विश्वविद्यालय से संसक्त न हो, कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा;

(चार) तीन विषय विशेषज्ञ, जो किसी भी प्रकार से विश्वविद्यालय से संसक्त न हों, कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्देशित किये जाएंगे'';

अ. परन्तु तीन विशेषज्ञों में से कम से कम एक विशेषज्ञ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के प्रवर्ग में से नामनिर्दिष्ट किया जायेगा. इन प्रवर्गों में से किसी विशेषज्ञ की अनुपलब्धता की दशा मे, एक प्रशासनिक अधिकारी को जो आयुक्त की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो और जो आरक्षित प्रवर्गों का हो, नामनिर्दिष्ट किया जायेगा.

(पांच) विलोपित,

(३) प्रवर समिति के तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी'';

(४) समिति विभिन्न अभ्यार्थियों के गुणागुण का अन्वेशण करेगी और गुणानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके कार्यपरिषद् को उन व्यक्तियों के नामों की, यदि कोई हो, जिन्हें वह पदों के लिए उपयुक्त समझती हो, सिफारिश करेगी.

[''परंतु कोई भी सिफारिश तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि उस सम्मिलन में जिसमें कि ऐसी सिफारिश के बारे में विनिश्चय किया जाना है, उपधारा (२) के खंड (तीन) तथा (चार) के अधीन नामनिर्देशित किये गये कम से कम दो विशेषज्ञ उपस्थित न हों'']

(५) कार्यपरिषद् उपधारा (४) के अधीन इस प्रकार सिफारिश किये गये नामों से व्यक्तियों की नियुक्ति गुणानुक्रम के अनुसार करेगी :

परन्तु जहां कार्यपरिषद् समिति द्वारा लगाकर रखे गए गुणानुक्रम के अनुसार नियुक्ति न करके अन्यथा नियुक्ति करना प्रस्तावित करती हो, वहां कार्यपरिषद् अपने कारणों को लिखित में अभिलिखित करेगी और अपनी प्रस्थापना कुलाधिपति को मंजूरी के लिए प्रस्तुत करेगी.

* * * *

धारा ४९ (क) * * * *

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.